न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, यशपाल आहूजा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :— 204 / 18.

वादी | बनाम | प्रतिवादीगण

रामी पुत्री बरसींगाराम पुत्र
मोहनराम
जाति विश्नोई
निवासी — मोटाई
तहसील — फलोदी

1. बरसींगाराम पुत्र भागचंद
2. बाबुड़ी पुत्री बरसींगाराम पत्नि रूपाराम
3. रूखमणी पुत्री बरसींगाराम पुत्र w/o श्रवणकुमार
4. मीरा पुत्री भागचंद
5. मूमल पुत्री भागचंद
जाति — विश्नोई
निवासी — मोटाई
तहसील — फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
वादी की और से प्रवीणसिंह राठौड़, व भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
प्रतिवादीगण की और से खेमराज विश्नोई उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 14 / 10 / 2019

वाद का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सभी एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है और आपस में पुत्री पिता माता व सगी बहने है । वादीनी और प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि खेत खसरा नं. 129 रकबा 170 बीघा 4 बिस्वा सरहद मौजा मोटाई वर्तमान में नया राजस्व गांव बन जाने से उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम जम्भेश्वरनगरी तथा खसरा नं. 330 रकबा 60 बीघा व खसरा नं. 330 / 2 रकबा 96 बीघा 4 बिस्वा सरहद मौजा मोटाई तहसील फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 330 / 2 रकबा 96 बीघा 4 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं, जो प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई थी। वादीनी और प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार प्रतिवादी संख्या एक व दो की जाईन्दा पुत्रीया है। इसलिए उक्त भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का कानूनन बहिस्सा बराबर बराबर 1/5 — 1/5 है और इसी अनुसार ही उक्त भूमि पर कब्जा मौके पर वादीनी व प्रतिवादी का आज दिन तक लगातार शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा है। मौके पर खसरा नं. 129 रकबा 170 बीघा 4 बिस्वा में वादीनी की रहवासीय ढाणी जिसमे चार झोपड़े एक चारे का झोपड़ा दो पानी के टांके गायो की गोयर दो घास के पछावे आदि बने हुए हैं जिसम सें वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर आज दिन तक लगातार हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग लेती आ रही है। तथा अपने अपने हिस्से की भूमि में चले आ रहे एक दूसरे के शांति पूर्वक कब्जा आज तक कभी किसी ने किसी प्रकार की दखलन्दाज नही की इस वजह से उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कभी परिवर्तन करवाने की आवश्यकता नही पड़ी लेकिन जमीनो की कीमते अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

नियत खराब हो गई है। वे वादीनी को उसके जायज हक से वंचित रखने की नियत से उक्त पूरी जमीन बैचान करने पर उतारू है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसी नापाक ईरादो से दिनांक 1.9.2004 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने साथ किसी अजनबी को लेकर उक्त भूमि पर आये और उक्त जमीन का उसे मौका दिखाकर पूरी जमीन के बैचान का सौदा तय किया और वादीनी को धमकी दी कि हमने जमीन के बैचान का सौदा कर लिया है जमीन व ढाणीयों का कब्जा छोड़ दो वरना हम जोर जबरदस्ती बेदखल कर देंगे इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में परितर्वन आवश्यक हो गया है। उक्त भूमि पैतृक जमीन है जो प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को उनके पूर्वजो से उतरोतर विरासत मे प्राप्त हुई है। वादीनी प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार प्रतिवादीगण संख्या एक व दो की जाईन्दा पुत्रीया है। इसलिए उक्त भूमि मे वादीनी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का कानूनन बराबर बराबर 1/5 1/5 हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गई है वे उक्त पूरी भूमि को बैचान करने पर उतारू है इसी इरादे से दिनांक 1.9.2004 को उक्त जमीन अजनबी व्यक्ति को दिखाई और वादीनी को बेदखल करने की धमकी दी तथा भूमि के बैचान का सौदा तय किया है। अगर प्रतिवादीगण अपने उक्त नापाक ईरादो में सफल होकर उक्त भूमि का बैचान कर देते है तो वादीनी के मूल भूत खातेदार अधिकारो पर कुठाराघात होगा। वादीनी को अपूर्णीयक्षति होगी जिसका मूल्याकन रूपये में नही किया जा सकेगा और क्षतिपूर्ति सम्भव नही होगी। इसलिये वादीनी अपने पक्ष में और प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी करवाना चाहती है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो उक्त भूमि ग्राम जम्भेश्वरनगरी के ख.नं. 129 रकबा 170.04 बीघा और ग्राम मोटाई के ख.नं. 330 रकबा 60 बीघा, ख.नं. 330/2 रकबा 96.04 बीघा या उसका कोई भी हिस्सा बैचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे। प्रतिवादी संख्या तीन व चार उक्त भूमि में कानूनी हक हिस्सा है इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बना गया है व्यहारकरण दिनांक 1.9.2004 को प्रतिवादी संख्या एक व दो अपने साथ अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये और उसके साथ उक्त भूमि के बैचान का सौदा तय किया और वादीनी को उक्त जमीन से बेदखल करने की धमकी दी । इस्तदुआ वादी की यह है कि जम्भेश्वरगनरी के खसरा नं. 129 रकबा 170 बीघा 4 बिस्वा ग्राम मोटाई के खसरा नं. 330 रकबा 60 बीघा व खसरा नं. 330/2 रकबा 96 बीघा 4 बिस्वा भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 स 4 का प्रत्येक का बहिस्सा बराबर बराबर 1/5 व 1/5 हिस्सा अनुसार खातेदारी का घोषित किया जाकर इसी अनुासार ही उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का वाद पेश किया।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण की और से वकील खेमराज विश्नोई, दीपकसिंह ने अपना वकालतनामा पेश किया अधिवक्ता दीपकसिंह ने प्रतिवादी संख्या 4 की और से जवाबदावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया। । प्रतिवादी संख्या 1 की और से वकील खेमराज विश्नोई ने जबाब दावा पेश किया प्रतिवादी द्वारा कर निवेदन है कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया अवश्य है मगर तीनों की शादीयो हो जाने से वो प्रतिवादी के संयुक्त परिवार की सदस्य नही रही बल्कि अपने ससुराल के परिवार की सदस्य हो गई है खेत खसरा संख्या 129 रकबा 170.9 बीघा भूमि वाके ग्राम जम्भेश्वरनगरी व खसरा संख्या 330 रकबा 60 बीघा खसरा संख्या 330/2 रकबा 97.4 बीघा भूमि वाके ग्राम मोटाई वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति नही है बलकी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है स्वअर्जित सम्पति होने से खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 को विरासत में प्राप्त नही हुई हैं, वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया का उक्त

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

खसरान की भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है जब वादीनी का कब्जा काश्त ही नही रहा तो दखलन्दाजी करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीनी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिये भूमि के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नही है। विवादग्रस्त पैतृक सम्पति नही है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से स्वअर्जित भूमि है विरासत में मिलने के कथन सरासर गलत है वादीनी व अन्य प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि मे किसी भी अनुपात में हक व कब्जा काश्त नही है और न वदीनी का किसीसे अनुपात में उक्त खसरान की भूमी में अपने नाम घोषित करवाने की अधिकारी है।

वादी की और से वकील श्री प्रवीणसिंह राठौड़ व भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित व प्रतिवादीगण की और से वकील खेमराज विश्नोई ने राजीनामा पेश किया कि खसरा संख्या 129 रकबा 170 बीघा 9 बिस्वा सरहद मौजा मोटाई वर्तमान में नया राजस्व ग्राम जम्भेश्वरनगरी खसरा नम्बर 330/2 रकबा 97 बीघा 4 बिस्वा सरहद मौजा मोटाई में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक पक्षकार का 1/4, 1/4 हिस्सा रहेगा। अर्थात वादीनी रामी का कुल रकबा की जमीन 267 बीघा 13 बिस्वा में 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 बरसींगा का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी बाबुड़ी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी रूखमणी का 1/4 हिस्सा रहेगा। खसरा संख्या 330 रकबा 60 बीघा भूमि मथरा पत्नि बरसींगारमा के खातेदारी में थी मथरा का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके खातेदारी की जमीन का नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी रामी, बाबुड़ी, रूखमणी के नाम से होकर खातेदारी में दर्ज हो गया है। इसलिये इस खसरे की जमीन को दावा की मद से हटाया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण स्वय उपस्थित हुवे जिन्होने हस्ताक्षर अगुठा निशान ऑडरसीट पर किये। वादी की पहचान अधिवक्ता भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने व प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता खेमराज विश्नोई ने की।राजीनामा शामिल मिसल किया गया ।

अतः वादी का वाद जरिये राज़ीनामा स्वीकार योग्य पाया जाता है।अनुसार अंतिम डिक्री किए जाने के आदेश दिये जाते है।

—:: आदेश ::—

वादी का वाद जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम जम्भेश्वरनगरी पटवार सर्कल मोटाई के खेत खसरा संख्या 129 रकबा 170 बीघा 9 बिस्वा व ग्राम मोटाई पटवार सर्कल मोटाई के खेत खसरा संख्या 330/2 रकबा 97 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 267 बीघा 13 बिस्वा भूमि में वादीनी रामी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी बरसींगा का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी बाबुड़ी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी रूखमणी का 1/4 हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि माफिक निर्णय पालना करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner